

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4-9-18

क्रमांक F-44-13 / 2018 / 20-2  
प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
मध्यप्रदेश।
3. सहायक आयुक्त,  
जनजातीय कार्य विभाग समस्त जिले।

विषय:- अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- शासकीय अधिवक्ता का पत्र दिनांक 04.09.2018।

कृपया संदर्भित पत्र मे लेख अनुसार रिट पिटीशन क्रमांक 18096/2018 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित है। माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 17.09.2018 नियत है।

अतः कृपया जिन पदों पर आज दिनांक तक किसी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सत्र 2018-19 हेतु नहीं की गई है, उनमें दिनांक 17.09.2018 तक किसी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जावे।

(श्रीभित जैन)  
सचिव

म.प्र.शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक F-44-13 / 2018 / 20-2  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4-9-18

1. महाधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
  2. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निर्देशित करने हेतु।
  3. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल।
  3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव  
म.प्र.शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग